



वदिशी अंशदान (वनिधिमन) संशोधन अधनियिम (FCRA), 2020

प्रलिमिस के लयि:

वदिशी योगदान (वनिधिमन) अधनियिम (FCRA), 2010

मेन्स के लयि:

वदिशी योगदान (वनिधिमन) संशोधन अधनियिम (FCRA), 2020, सर्वोच्च न्यायालय ने FCRA संशोधनों को बरकरार रखा, गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वदिशी अंशदान (वनिधिमन) संशोधन अधनियिम (FCRA), 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- इसने माना कि वदिशी भेंट प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है, साथ ही इसे संसद द्वारा नयितरति कयि जा सकता है।
- वर्ष 2020 में भारत सरकार ने FCRA में संशोधन का प्रस्ताव दयि था, जसिने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), व्यक्तियों और अन्य संगठनों को वदिशों से योगदान कयि गए धन को प्राप्त करने या उपयोग करने पर नए प्रतिबंध लगाए।

नरिणयों की मुख्य वशिषताएँ:

- **दवा बनाम मादक रूपांतरण** : वदिशी अंशदान तब तक एक दवा की तरह कार्य करता है जब तक कि इसका उपयोग वविकपूर्ण तरीके से कयि जाता है।
 - हालाँकि वदिशी अंशदान का स्वतंत्र और अनयितरति प्रवाह उस मादक पदार्थ की तरह कार्य कर सकता है जसिमें राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने की क्षमता होती है।
- **राजनीतिक वचिरधारा की प्रभावशीलता**: SC ने रेखांकित कयि कि वदिशी अंशदान राजनीतिक वचिरधारा को प्रभावित या थोप सकता है।
 - इस प्रकार FCRA संशोधन अनविर्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के हति में परकिलपति है क्योंकि इसका उद्देश्य वदिशी स्रोतों से आने वाले दान या भेंट के दुरुपयोग को रोकना है।
- **वैश्विक उदाहरण**: वदिशी दान प्राप्त करना पूर्ण या नहिति अधिकार भी नहीं है।
 - ऐसा इसलिये है क्योंकि वदिशी अंशदान से प्रभावित राष्ट्रीय राजनीतिक संभावना के सिद्धांत को वशि्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- **कानून को कायम रखना**: इस परदृश्य में संसद के लिये यह आवश्यक हो गया था कि वह वदिशी अंशदान के प्रवाह और उपयोग को प्रभावी ढंग से वनियमति करने के लिये एक सख्त शासन प्रदान करे।

वदिशी अंशदान (वनिधिमन) अधनियिम (FCRA), 2010 क्या है?

- भारत में व्यक्तियों के वदिशी धन को एफसीआरए अधनियिम के तहत वनियमति और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कार्यान्वित कयि जाता है।
 - लोगों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना वदिशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है।
 - हालाँकि ऐसे वदिशी योगदान की स्वीकृति के लिये 25,000 रुपए की मौद्रिक सीमा नरिधारति की गई है।
- अधनियिम यह सुनिश्चित करता है कि वदिशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जसिके लिये यह योगदान प्राप्त कयि गया है।
- अधनियिम के तहत संगठनों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

अधनियिम में कयि गए संशोधन:

- **वदिशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध**: यह संशोधन लोक सेवकों को वदिशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है।
- **वदिशी योगदान का हस्तांतरण**: यह किसी अन्य व्यक्तिको वदिशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
- **पंजीकरण के लिये आधार**: पहचान दस्तावेज़ के रूप में वदिशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्तिके सभी पदाधिकारियों, नदिशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिये आधार संख्या अनविर्य है।
- **FCRA खाता**: वदिशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, नई दल्लि की ऐसी शाखाओं में FCRA खाते के रूप में बैंक द्वारा नरिदषिट खाते में ही प्राप्त

किया जाना चाहिये।

◦ इस खाते में वदेशी अंशदान के अलावा कोई धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जानी चाहिये।

- **वदेशी अंशदान के उपयोग में प्रतिबंध:** इसने सरकार को अप्रयुक्त वदेशी अंशदान के उपयोग को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी।
 - ऐसा तब किया जा सकता है जब जाँच के आधार पर सरकार को लगता है कि ऐसे व्यक्तियों ने FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- **प्रशासनिक उपयोग को सीमित करना:** यद्यपि पहले गैर-सरकारी संगठन प्रशासनिक उपयोग के लिये 50% तक धन का उपयोग कर सकते थे, नए संशोधन ने इस उपयोग को 20% तक सीमित कर दिया।

संशोधनों का उद्देश्य और संबंधित मुद्दे:

- **उद्देश्य:** वदेशी योगदान के कई प्राप्तकर्ताओं ने इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया, जिसके लिये उन्हें FCRA 2010 के तहत पंजीकृत या पूर्व अनुमति दी गई थी।
 - हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उन छह (NGOs) के लाइसेंस निलंबित कर दिये गए हैं जिन पर धर्म परिवर्तन हेतु वदेशी योगदान (Foreign Contributions) का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
 - ऐसी स्थिति देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी।
 - इसका उद्देश्य वदेशी योगदान की प्राप्त और उपयोग में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाना एवं समाज के कल्याण के लिये कार्य कर रहे वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों को मदद प्रदान करना है।
- **मुद्दे: संशोधनों में कुछ स्थानों पर इसकी आलोचना हुई कि नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations) पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।**
 - सरकार का उद्देश्य उन गैर-सरकारी संगठनों को नयितरति करना है जो संदग्ध गतिविधियों में लपित हैं।
 - हालाँकि यह गैर-सरकारी संगठनों की विविधता को पहचानने में वफ़िलता, जिसमें विश्व स्तर के संगठन भी शामिल हैं, वैश्विक स्तर पर उनकी मान्यता, प्रतिस्पर्धा और रचनात्मकता को समाप्त कर देगी।

आगे की राह:

- NGOs सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मददगार होते हैं। वे उन अंतरालों को भरते हैं, जहाँ सरकार अपना काम सही से करने में वफ़िल रहती है।
- सरकार को अपने वैश्विक जुड़ाव के ढाँचे के रूप में वसुधैव कुटुम्बकम् के प्राचीन भारतीय लोकाचार के साथ रहना चाहिये और सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना के साथ कार्य नहीं करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-upheld-fcra-amendments>